राजेश कुमार
परियोजना निदेशक, एनपीएमयू एंड
निदेशक (जल)

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पर्यावरण भवन,बी-1 विंग, 8वीं, 9वीं एवं 12वीं मंजिल,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003

अ.शा. पत्र संख्या: 11030/जन./आरडब्ल्यूएसएसपी

दिनांक: 11 मई, 2015

सेवा में,
प्रधान सचिव/सचिव
प्रभारी ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
असम, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की सरकार

विषय: एनआरडीडब्ल्यूपी (आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस) के ईएपी कम्पोनेंट के अंतर्गत फंड की आवश्यकता।

प्रिय महोदय,

यह विभिन्न बैठकों में इस विषय पर दिए गए अनेक संदर्भों से संबंधित है तथा इस संबंध में झारखंड सरकार के पत्र सं. एसडब्ल्यूएसएम/डब्ल्यूबी/एलॉटमेंट-27/2012-338 दिनांक 01.05.2015 से भी संबंधित है।

2. इस वर्ष मंत्रालय के बजट में ईएपी कम्पोनेंट के लिए गलती से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस (एनएनपी) के परियोजना कार्य पर व्यय करने की अनुमति देने के लिए ईएपी कम्पोनेंट के अंतर्गत फंड के आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाया गया है। संकेतों के अनुसार ईएपी के लिए तत्काल प्रावधान की उम्मीद नहीं है। यह अनुपूरक चरण पर ही उपलब्ध होगा।

3. अब तक इस मंत्रालय से ईएपी कम्पोनेंट के रूप में चार राज्यों को रु. 175 करोड़ जारी किये गए थे इस प्रकार इससे विभिन्न कार्यों/ गतिविधियों की प्रगति के लिए राज्यों को लगभग रु. 350 करोड़ उपलब्ध होंगे। तथापि राज्यों द्वारा प्रस्तुत आईयूएफआर के अनुसार दिनांक 31.3.15 तक राज्यों द्वारा केवल रु. 51.22 करोड़ व्यय किए गए थे। राज्य-वार विवरण निम्न प्रकार है (सभी राशि करोड़ में):-

राज्य (1)	ईएपी कम्पोनेंट के रूप में जारी राशि (2)		ईएपी कम्पोनेंट के रूप में कुल जारी राशि (3)	राज्यों को उपलब्ध कराये जाने वाली कुल राशि (ईएपी के रूप में दो बार जारी)	31.3.15 तक व्यय (5)	राज्यों के पास उपलब्ध राशि (6)
	2013-14	2014-15		(4)		
असम	9.99	39.45	49.44	98.87	4.30	94.57
बिहार	9.99	58.63	68.62	137.24	24.92	112.32
झारखंड और	9.99	-	9.99	19.98	6.63	13.35
उत्तर प्रदेश	9.99	36.92	46.91	93.82	15.37	78.45

4. उपरोक्त कालम (6) से यह स्पष्ट है कि राज्यों के पास आरडब्ल्यूएसएसपी (एनएनपी) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों की प्रगति को जारी रखने के लिए कुछ फंड उपलब्ध है। आगे यदि राज्यों को फंड की कमी पड़ती है तो वह एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उपलब्ध फंड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए दिनांक 31.3.15 के अनुसार एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 2014-15 के लिए असम, बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश के पास, क्रमश: रु. 78.32 करोड़ रु. 207.92 करोड़ रु. 79.28 करोड़ और रु. 603.71 करोड़ हैं। इस राशि को समायोजित किया जा सकता है जब वित्त मंत्रालय से इस मंत्रालय को ईएपी आबंटन प्राप्त होता है और यह राशि राज्यों को जारी की जाती है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(राजेश कुमार)
परियोजना निदेशक, एनपीएमयू एंड
निदेशक (जल)

प्रतिलिपि: वरिष्ठ टीडी, एनआईसी को कृपया वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।